

प्रेषक,

श्री राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सहाय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2001

विषय:- उत्तर केओरिका हेतु चार्जिटेपेडरी स्कूल चारापत्ती की तीरुवीरुक्कुरी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इसे यह उल्लेख किया जाता है कि उत्तर केओरिका हेतु चार्जिटेपेडरी स्कूल चारापत्ती की तीरुवीरुक्कुरी नई दिल्ली हेतु संयुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु का राज्य सरकार की विनियमित प्रक्रियाओं के अंतर्गत अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत संसाधनों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगा ।

- 151 तत्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

! राम कुमार !
विशेष सचिव ।

पू० सं०- 50781 11/15-7-सदर दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **वाराणसी ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **वाराणसी ।**
- 4- निरीक्षक, अंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- **प्रबंधक, जगर भगोरिया सेड वार्ड प्रेपरेटरी स्कूल वाराणसी ।**

आज्ञा से,

! अखिलेश चन्द्र गुप्त !
अनु सचिव ।